भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2355

जिसका उत्तर 13.03.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग- 183 का विकास और उन्नयन

2355. श्री कोडिकुन नील सुरेश:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग-183 और विशेष रूप से कोल्लम और चेंगन्नूर के बीच के खंड के विकास और उन्नयन कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना के लिए पिछले पांच वर्षों में वर्षवार कितनी निधि आवंटित और जारी की गई है;

(ग) क्या परियोजना के कार्यान्वयन में कोई विलंब हुआ है और यदि हां, तो ऐसे विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) कोल्लम और चेंगन्नूर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-183 पर कार्यों के लिए 3ए, 3डी अधिसूचना और भूमि अधिग्रहण के लिए अपेक्षित समय-सीमा क्या है;

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग-183 के आगे के विकास, विस्तार और अनुरक्षण के लिए विद्यमान प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है, जिसमें चौड़ीकरण, नए बाइपास या अन्य अवसंरचना में सुधार शामिल हैं, साथ ही चार लेन संरेखण का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा परियोजना में तीव्रता लाने और इसे समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) कोल्लम से चेंगन्नूर तक के खंड सहित एनएच 183 पर सभी सुदृढ़ीकरण कार्य पूरे हो चुके हैं।

(ख) सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी-वार निधि आवंटित करती है, परियोजना/एनएच-वार निधि आवंटित नहीं करती है। पिछले पांच वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केरल राज्य में एनएच के विकास के लिए आवंटित निधि और किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**आवंटन (करोड़ रु. में)**	**व्यय (करोड़ रु.में)**
2019-20	**1265.0**	**1265.0**
2020-21	**12831.0**	**12831.0**
2021-22	**10136.0**	**10136.0**
2022-23	**3994.0**	**3994.0**

2023-24	**10419.0**	**10419.0**
2024-25 (31.01.2025 तक)	**2756.0**	**2690.0**

(ग) केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य पूरा होने में विलम्ब मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी, जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण, कोविड महामारी, मिट्टी क्षेत्र और खुदाई कार्य की मंजूरी, असामान्य वर्षा, खराब योजना और ठेकेदारों द्वारा संसाधन जुटाने आदि में देरी के कारण हो रहा है।

(घ) केरल राज्य सहित देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव एक सतत् प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर उनके निर्माण-पूर्व गतिविधियों सहित कार्य तदनुसार शुरू किए जाते हैं ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में रखा जा सके, जो पारस्परिक प्राथमिकता, यातायात सघनता और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ तालमेल पर निर्भर करता है। सरकार ने केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 183 के किमी 4/200 से किमी 62/100 तक भूमि अधिग्रहण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के लिए पहल की है।

(ङ) एनएच 183 के कोल्लम (किमी 0/0) से अंजिलिमूडु (किमी 62/100) तक के खंड को पेव्ड शोल्डर के साथ चार लेन एनएच मानकों के अनुसार विकसित करने की योजना बनाई गई है। किमी 106/700 से किमी 137/000 और किमी 160/000 से किमी 215/450 (केरल/तमिलनाडु सीमा) तक के हिस्सों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी शुरू कर दी गई है। तीन बाईपास अर्थात् पम्बानार बाईपास, वंडीपेरियार बाईपास और कुमिली बाईपास के लिए संरेखण को मंजूरी दे दी गई है। एनएच 183 का शेष भाग किमी 62/100 से 106/700 और किमी 137/000 से 160/000 के बीच डीपीआर तैयार करने के लिए निविदा चरण में है।

(च) केरल राज्य की परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी परियोजनाओं की नियमित निगरानी परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) पोर्टल और निष्पादन एजेंसी स्तर पर डेटा लेक पोर्टल तथा मंत्री स्तर पर परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) पोर्टल के माध्यम से की जाती है। परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए विशिष्ट परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) और समर्पित परियोजना परामर्शदाताओं को साइट पर तैनात किया जाता है। परियोजनाओं की समय-समय पर सरकार के विभिन्न स्तरों पर समीक्षा भी की जाती है।

******